संख्या–1061/9–आ–3–1996–10काम्प/93

प्रेषक

श्री अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 1996

विषय : विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत अनाधिकृत कालोनियों का निर्माण।

महोदय,

यह देखा गया है कि विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26,27 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों को पूर्णतया नियंत्रित न कर पाने के कारण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भारी संख्या में अनाधिकृत निर्माण कर लिये जाते हैं। बाद में ये निर्माण एक अविकसित कालोनी का रूप धारण कर लेते हैं जहॉ सड़क, पार्क, सीवर एवं अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता है और धीरे–धीरे वहॉ पर स्लम बन जाते हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे अनियमित निर्माण/विकास पर कड़ा अंकुश लगाया जाये। ऐसी अनाधिकृत रूप से विकसित हो गयी कालोनियों में रहने वाले लोगों के लिए नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से राज्य आवास नीति 1995 में यह व्यवस्था की गयी है कि इन अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण कराकर विकास प्राधिकरण स्तर पर इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की जाय। चूँकि भिन्न–भिन्न नगरों की स्थानीय परिस्थितियॉ अलग–अलग हैं। अतः सभी नगरों के लिए एक सामान्य नीति निर्धारित किया जाना उचित नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनाधिकृत रूप से विकसित हो गयी ऐसी कालोनियों का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर उनके नियमितीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण बोर्ड में निर्णय लेकर की जाय। यदि इस सम्बन्ध में शासन से अनुमोदन या अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो प्राप्त कर लिया जाय।

भवदीय,
अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव